प्रेस विज्ञप्ति

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा 42-गगरेट व 45-कुटलेहड़ विधान सभा के उप-चुनावों के लिए प्रतिनियुक्त पीठासीन अधिकारियों/ मतदान अधिकारियों के कार्यालय आदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी कर दिए गए हैं व विभागाध्यक्षों के माध्यम से वितरित किये जा रहे हैं । सभी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि .जिला ऊना में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार पूर्वाभ्यास कार्यक्रम निम्नलिखित तिथियों को निर्धारित किये गए हैं:

सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	पोर्वभ्यास हेतु नियत स्थल	प्रथम व द्वितीय पूर्वाभ्यास (पीआरओ/ एपीआरओ)	प्रथम व द्वितीय पूर्वाभ्यास (पोलिंग ऑफिसर)
41-चिंतपुर्णी (अ ज)	महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय अम्ब	25-04-2024 व 22-05-2024	26-04-2024 व 23-05-2024
42-गगरेट	डॉ बी आर अम्बेदकर राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज अम्बोटा	27-04-2024 व 22-05-2024	28-04-2024 व 23-05-2024
43-हरोली	स्किल डेवलपमेंट सेंटर पलाकवाह	26-04-2024 व 22-05-2024	27-04-2024 व 23-05-2024
44-ऊना	राजकीय महाविद्यालय ऊना	25-04-2024 व 22-05-2024	26-04-2024 व 23-05-2024
45- कुटलेहड़	एबीवीपी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा	27-04-2024 व 22-05-2024	28-04-2024 व 23-05-2024

सभी पीठासीन/मतदान अधिकारियों से अनुरोध है कि वे प्रथम पूर्वाभ्यास के दिन 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, साथ लेकर आयें ताकि उन्हें फोटो आईडी कार्ड जारी किये जा सकें ।

सभी अधिकारी प्रथम पूराभ्यास के दिन पोस्टल बैलट अथवा ईडीसी हेतु फॉर्म-12/फॉर्म 12ए भर कर मतदाता पहचान पत्र (EPIC) व प्रतिनियुक्ति आदेश(Appointment Order) की फोटोकॉपी के साथ संलग्न करके सबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेंगे ताकि द्वितीय पूर्वाभ्यास के दिन कर्मचारियों को पोस्टल बैलट/ईडीसी जारी किये जा सकें ।

एतद् द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिनका नाम 3-हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र **(42-गगरेट अथवा 45- कुटलेहड़ विधान सभा निर्वाचन को छोड़कर)** में दर्ज है और जो 3-हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ही अधिकारी/कर्मचारी के रूम में निर्वाचन ड्यूटी देंगे, उनको रिटर्निंग अधिकारी की और से इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) जारी किया जाएगा जिसका प्रयोग करके वे अपना मत उसी मतदान केंद्र पर ईवीएम के माध्यम से दे पाएंगे जहाँ वे ड्यूटी कर रहे होंगे ।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम 42-गगरेट अथवा 45- कुटलेहड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज हैं, उन्हें केवल पोस्टल बैलट के माध्यम से ही अपना मत देना होगा । पोस्टल बैलट से मतदान करने वाले सभी कर्मचारी अपना बैलट द्वितीय पूर्वाभ्यास के दिन या बाद के पूर्वाभ्यास वाले दिनों में पूर्वाभ्यास स्थल पर लगाये गए फेसिलिटेशन सेंटर पर ही डाल सकेंगे ।

निर्वाचन ड्यूटी पर लगे पुलिस व अन्य कर्मचारी सम्बंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में बनाये गए फेसिलिटेशन सेंटर में अपना पोस्टल बैलट द्वारा अपना वोट दे सकते हैं । निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार किसी भी कर्मचारी को पोस्टल बैलट डाक द्वारा प्रेषित नहीं जाएगा ।

Jatin Lal

जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त)
ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)

पृष्ठांकन संख्या:ईएलएन-ऊना-4-13/2023- 1038 दिनांक: 20 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि प्रेषित है:

1 सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एसडीएम) जिला ऊना को सूचनार्थ व कार्यवाही हेतु ।

2 जिला लोक संपर्क अधिकारी, ऊना, जिला ऊना को सभी समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार हेतु ।

3 सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ व कार्यवाही हेतु ।

Jatin Lal

जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त)
ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)

Received
O/o DPRO